

पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे के निर्माण संगठन में संविदा के आधार पर रि-इंगेजमेंट हेतु राज्य सरकार के वन/राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)II/2020RC-4/2(Pt.2) (RBE No.12/2024) दिनांक-08.02.2024 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्माण संगठन में चल रहे प्रोजेक्ट, जिनमें भूमि अधिग्रहण एवं वन/वन्य जीव क्लीयरेन्स के लिए राज्य सरकार के वन/राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के "लैन्ड एक्वीजिशन एसोसीएट" के रूप में रि-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकता		परियोजना से संबंधित जिले
		राजस्व विभाग	वन विभाग	
1.	छितौनी-बाल्मीकि नई लाइन	1	1	कुशीनगर एवं चंपारन (बिहार)
2.	एटा-कासगंज नई लाइन	1	—	एटा, कासगंज
3.	सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन	1	—	गोरखपुर एवं मऊ
4.	आनन्दनगर-घुघली नई लाइन	1	1	महाराजगंज
5.	खलीलाबाद-बहराइच नई लाइन	1	1	संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच
	कुल	5	3	

नोट- चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना आवश्यकतानुसार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त 08 रिक्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार के वन एवं राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रि-इंगेजमेंट हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त के लिए नियम एवं शर्तें निम्नवत होगी:-

- अधिकतम आयु दिनांक -21.02.2026 को 65 वर्ष से काम होनी चाहिए अर्थात् चयनित अभ्यर्थियों के रि-इंगेजमेंट का कार्यकाल की उम्र 65 वर्ष तक ही मान्य होगी।
- रि-इंगेजमेंट के समय अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से सुयोग्य होने चाहिए।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते इत्यादि का भुगतान रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2024 एवं पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पूर्व में जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश दिनांक-30.03.2022 के अनुरूप देय होंगे।
- रि-इंगेजमेंट किये गये अभ्यर्थियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थी की सेवा दिनांक-21.02.2026 के समाप्ति अथवा 65 वर्ष उम्र (जो भी पहले हो) होने पर स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थी की सेवा पूर्वोत्तर रेलवे के भौगोलिक क्षेत्र में कही भी ली जा सकती है।
- रिक्ति के सापेक्ष सम्बन्धित विभाग उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य (वन/राजस्व) के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदन का प्रारूप संलग्न है।
- मूल आवेदन के साथ अपेक्षित अभिप्रमाणित कागजात नियमानुसार संलग्न करें:-
 - पासपोर्ट आकार के दो अद्यतन फोटोग्राफ।
 - जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (हाई स्कूल /समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार)।
 - अजा०/अजजा० एवं अन्य पिछड़ी जाति (ncl) के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
 - सेवानिवृत्ति कर्मचारी का पीपीओ की प्रतिलिपि।
 - सेवानिवृत्ति पहचान पत्र।
 - आधार/पैन कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र आदि।
 - अंतिम माह का पे-स्लिप (वेतन पर्ची)

11. आरक्षण-आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार के वन/राजस्व के ग्रेड पे रु 2000/- से ग्रेड पे रु 5400/- तक के सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पेटिका में डाल सकते हैं।

12. अन्य निर्देश-

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के कार्मिक शाखा में स्थित आवेदन पेटिका में आवेदन डालना है।

2. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर निर्धारित आवेदन भर कर सभी वांछित प्रपत्रों की सहस्रताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ निर्धारित तिथि दिनांक-05.08.2025 तक जमा करने वाले पात्र अभ्यर्थी ही वाक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित किये जायेंगे।

3. इस साक्षात्कार के लिये कोई टीए./डीए. देय नहीं होगा।

4. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

5. आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक-13.08.2025 है। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेज के वगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. स्क्रीनिंग/साक्षात्कार के समय पैरा 10 में उल्लिखित दस्तावेजों कि मूल प्रति स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. रिङ्गेज कर्मचारियों को रेलवे के साथ कार्य सम्बन्धी गोपनीय, नैतिकता (एथिक्स)/ सत्यनिष्ठा के शपथ पत्र देना होगा।

सचिव/मुप्रअ/निर्माण

कृते मुप्रअ/निर्माण

सं० KA/227/Re-engagment of state Govt. Emp.

दिनांक-24.07.2025

1- सचिव/महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

2- महाप्रबन्धक/कार्मिक को इस अनुरोध के साथ कि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

3- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

4- मुख्य इंजी०/निर्माण-1/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

कृते मुप्रअ/निर्माण

आवेदन पत्र

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,

विषय: राज्य सरकार के वन/राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए री-इंगेजमेंट हेतु
आवेदन पत्र।

सन्दर्भ: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण का अधिसूचना सं० KA/227/Re-engagment of state
Govt. Emp. दिनांक 18.07.2025

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० सं० E(NG)II/2020RC-4/2(Pt.2) (RBE No.12/2024) दिनांक-08.02.2024 एवं मुख्य
प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं० KA/227/Re-engagment of state Govt. Emp.
दिनांक 24.07.2025

16.	नाम		स्व हस्ताक्षरित फोटो
17.	पिता का नाम		
18.	जन्म तिथि		
19.	आवेदित पद		
20.	सेवानिवृत्ति के समय पद		
21.	कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं		
22.	जिला/मण्डल का नाम		
23.	सेवानिवृत्ति की तिथि		
24.	लेवल/वेतनमान/ग्रेड पे (सातवा वेतन आयोग के अनुसार)		
25.	अंतिम मूल वेतन		
26.	पेंशन की रकम (7 CPC के अनुसार)		
27.	पत्राचार का पता		
28.	सम्पर्क नंबर (मोबाईल) एवं ई-मेल आई०डी०		
29.	पी०पी०ओ० सं०		
30.	आधार नं०		
15	संलग्न (हा/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र की छाया प्रति 3. पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति 5. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड 6. पैन कार्ड

घोषणा-पत्र

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि रेल सेवा से सेवानिवृत्ति तिथि को मेरे पक्ष में कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं थी तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विज्ञापन की अंतिम तिथि को मेरी आयु 64 वर्ष से कम है, मुझे ज्ञात है कि री-इंगेजमेंट के संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा उसे स्वीकार करना बाध्यता होगी किसी भी समय रेलवे प्रशासन द्वारा तत्कालीन आवश्यकता की दशा में री-इंगेजमेंट को निरस्त करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के समय मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं था।

हस्ताक्षर

दिनांक

पत्राचार का पता :-

नाम -

पिता का नाम -

सेवानिवृत्ति के समय पद -

पी०पी०ओ० सं० -